HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5221/2026

1. Sakir S/o Ali Mohammad, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
2. Arif S/o Ali Mohammad, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
3. Vakeel @ Vakka S/o Kasam, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
4. Sabir S/o Kasam, R/o Village Dhimri, Police Station Pahadi, District Deeg (Raj.).
5. Aalam S/o Asru, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).
6. Asib @ Kala S/o Akbar, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).
7. Mustak S/o Karim, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).
8. Mustfa S/o Tayyab, R/o Village Jhandipur, Police Station Pahadi, District Deeg (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vikram Singh Chauhan
For Respondent(s) : Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/05/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना **पहाड़ी जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 338/2023** अपराध अंतर्गत धारा 147, 149, 332, 353, 336 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण

अधिनियम 1984 में अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। अभियुक्तगण की ओर से पूर्व आदेश दिनांक 16.04.2026 की पालना में अनुसंधान में भाग लिया जा चुका है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। उनकी अभिरक्षात्मक पूछताछ के लिए कोई आवश्यकता नहीं हैं। अन्य सहअभियुक्तगण मुरसलीम, नासिर एवं रसीद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2025 को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जा चुकी है, अभियुक्तगण का मामला उनके समान है, अतः उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर प्रकट किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने पूर्वादेश की पालना में अनुसंधान में भाग ले लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा चुकी है।

तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट कृत्य करने का आक्षेप नहीं है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का तथ्य भी सामने नहीं आया है। उनके द्वारा इस न्यायालय के आदेश की पालना में अनुसंधान में भाग ले लिया है तथा उनसे अनुसंधान किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षात्मक पूछताछ (Custodial Interrogation) के लिए भी कोई आवश्यकता होना नहीं बताया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस मामले में प्रार्थीगण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रत्येक प्रार्थी उनके संतोषप्रद **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं**

पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SHUBHA MEHTA),J

5/AJAY KUMAR SINGHAL